



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं० पटना 718) पटना, शुक्रवार, 3 जुलाई 2026

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

1 जुलाई 2026

विषय : बिहार में निजी विद्यालयों के संबद्धता हेतु दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन।

सं० 09/बि०वि०प०स०-22/2024/984—अनुपालन न्यूनीकरण और विनियमन मुक्ति के पहल के चरण-II के अनुसरण में बिहार में निजी तौर पर प्रबंधित विद्यालयों के लिए नई संबद्धता जारी करने तथा संबद्धता के नवीनीकरण हेतु दिशानिर्देशों, जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) संबद्धता विनियमावली, 2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा अधिसूचित है, में आंशिक संशोधन तथा पूर्व में निर्गत बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-BSEB(SS)/Coll-Estab/688/D/2026 दिनांक 07.06.2026 को निरस्त करते हुए ऐतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

बिहार में निजी तौर पर प्रबंधित विद्यालयों के लिए संबद्धता जारी करने तथा संबद्धता के नवीनीकरण हेतु मौजूदा दिशानिर्देशों के उपबंध-3 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम भूमि आवश्यकता को ऐतद् द्वारा समाप्त किया जाता है।

तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि संबद्धता तथा संबद्धता के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई भी भूमि मापदण्ड लागू नहीं होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से निर्गत की गई है तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

आदेश से,
अजय सतीश भेंगरा,
उप सचिव।

The 1st July 2026

Subject: Partial modification of guidelines for affiliation for Privately Managed Schools in Bihar

No. 09/B.S.E.B.-22/2024/984—In pursuance of the Compliance Reduction and Deregulation Phase-II initiative, and in partial modification of the guidelines for issuance of fresh affiliation and renewal of affiliation for Privately Managed Schools in Bihar, as notified Bihar School Examination Board (High Secondary) Affiliation Regulations, 2011 (as amended from time-to-time) and in supersession of the earlier Bihar Government Notification No. BSEB (SS)/CoII-Estab/688/D/2026 dated 07-06-2026, The following amendments are hereby made:

The minimum land requirement prescribed under Clause 3 of the existing guidelines for issuance of affiliation and renewal of affiliation for Privately Managed Schools in Bihar is hereby eliminated.

Accordingly, it is clarified that no land norms shall be applicable while submitting applications for affiliation and renewal of affiliation.

This Notification is issued with the approval of the competent authority and shall come into force **with immediate effect**.

By order,
Ajay Satish Bhengra,
Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 718-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>